न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 50 / 2019

पृथ्वीराज पुत्र मनीराम जाति कुम्हार साकिन 3 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. मनीराम (फौत)
2. झुमा देवी पुत्री मनीराम पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार साकिन चका तहसील राणीया जिला सिरसा हरियाणा ।
3. कमला देवी पुत्री मनीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार साकिन रूपनगर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब ।
4. भवंर लाल पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार साकिन सहिदावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
5. सुशील कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार साकिन सहिदावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
6. दुलीचन्द पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार साकिन सहिदावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ।
8. उपपंजीयक गोलूवाला।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री मदन लाला पारीक — प्रार्थी
2. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई — अप्रार्थीगण
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी संख्या 7
4. उपपंजीयक गोलूवाला। — अप्रार्थी संख्या 8

—:: निर्णय :—

दिनांक:— 26/09/2024

प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री मदन लाल पारीक द्वारा प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें संक्षिप्त तथ्य कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक नं. 1 एचडीपी के प. नं. 13/261 (25) किला नं. 9/.062, 10/.177, 12/240, 13/139, 18/.106, 19 ता 22, 231.107, प.नं. 13/262 किला नं. 1, 2, 31.126, 8/. 127, 9, 10, 12, 13/.127 इस प्रकार कुल 3.753 हैक. अनकमांड मय रास्ता खातेदारी दर्ज रिकार्ड बाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम तहसील खाजूवाला ... 8 एसएसएम के प.न. 27143 किला नं. 3 ता 8 की 6 बीघा, प.नं. 27... 9, 10/2 की 9.16 बीघा कुल 15.16 बीघा में से 9.18 बीघा कमांड अनकमांड खा... दर्ज रिकार्ड बाके है चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.01 12:25:38 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3, 4 में अप्रार्थी सं.1 के नाम वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के दादा हुकमाराम पुत्र नत्थूराम के फौत होने के पश्चात अप्रार्थी सं.1 को विरास्तन प्राप्त हुई है जो प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। प्रार्थी के नाम चक 4 एचडीपी में 15 बीघा कृषि भूमि थी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जिसे बेचान कर वाद पत्र की दफा 4 में वर्णित भूमि खरीद की है जिसकी तमाम राशि प्रार्थी की लगी है। जो पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का बराबर बराबर हक व हिस्सा जन्म से निहित है। अप्रार्थी स.1 के नाम वर्णित उक्त पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा बनता है। जिस पर प्रार्थी शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है परन्तु उक्त समस्त भूमि अप्रार्थी स.1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये प्रार्थी अपने 1/4 हिस्सा की घोषणा पाने का हकदार है।

यह कि अप्रार्थी स.1 जो कि अत्यन्त लालची किस्म का वृद्ध व्यक्ति है। जिसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण है। अप्रार्थीगण उक्त पैतृक कृषि भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी एवं प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व प्रार्थी अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि से महरूम हो जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि वे तहसील पीलीबंगा के चक नं. 1 एचडीपी के प.नं. 13/261 (25) किला नं. 9/.062, 10/.177, 12/.240, 13/.139,18/. 106, 19 ता 22, 23/107, प.नं. 13/262 किला नं. 1, 2, 31.126, 8/127, 9,10, 12, 13/. 127 इस प्रकार कुल 3.753 हैक. अनकमांड मय रास्ता खातेदारी व तहसील खाजूवाला के चक 8 एसएसएम के प.न. 27/43 किला नं. 3 ता 8 की 6 बीघा, प.नं. 27/51 किला नं. 1/2, 2 ता 9, 10/2 की 9.16 बीघा कुल 15.16 बीघा में से 9.18 बीघा कमांड अनकमांड खातेदारी को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई मामला सुविधा का संतुलत प्रार्थी के पक्ष में होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया एवं वास्ते तलबी नोटिस जारी किये गए। अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र बिश्नोई द्वारा अप्रार्थीसंख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 3 निम्न प्रकार से है–यह कि वाद पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज सजरा खानदान पूर्ण न होने के कारण अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 मनीराम के नाम से चक 8 एस.एस.डब्ल्यू के प.नं. 27/43 किला नं. 3 ता 8 की 6 बीघा, प.नं. 27/51 किला नं. 1 ता 10 की 9.16 बीघा भूमि कुल 15.16 बीघा कमांड व अनकमांड खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 कतई गलत [illegible] नहीं। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी स. 1 की स्वयं की भूमि है। इस भूमि का अप्रार्थी मनीराम [illegible] व हकदार है। मनीराम के जीवनकाल में प्रार्थी का [illegible] दोनो चको की भूमि पर प्रार्थी का किसी भी अंश पर कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थी अपने नाम दर्ज दोनो चको की समस्त भूमि स्वयं ठेका या हिस्सा पर देकर काश्त करता है। चक 8 एस. एस. डब्ल्यू की भूमि अप्रार्थी स. 1 द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई सम्पति है। इस भूमि का समस्त प्रतिफल अप्रार्थी सं. 1 मनीराम ने अदा किया है। प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.01 12:25:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

और न ही पैतृक सम्पति है। इसलिए प्रार्थी घोषणा पाने का हकदार भी नही है। प्रार्थी का दावा काबिल खारिज के है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कतई गलत एंव मिथ्यारचित है स्वीकार नही। प्रार्थी पृथ्वीराज ने दो शादियां की थी। प्रथम पत्नी विमला देवी फौत हो चुकी है। दूसरी पत्नी सुलोचना है। प्रथम पत्नी विमला देवी व पृथ्वीराज के चार संतान माया भंवरलाल सुशील – दुलीचंद पैदा हुए। दूसरी पत्नी सुलोचना व पृथ्वीराज के दो संताने दलीप ममता पैदा हुए। प्रार्थी पृथ्वीराज की दूसरी शादी के बाद अपने माता पिता व पूर्व पत्नी की संतान माया वगैरा के साथ आचरण एंव व्यवहार ठीक नही रहा। प्रार्थी अपने माता–पिता व बच्चे श्माया वगैरा को गांव शहिदावाली (पंजाब) में छोड़कर चला गया और वर्तमान में अपनी पत्नी व दो बच्चो दलीप ममता के साथ तहसील पीलीबंगा में आकर रहने लगा। वृद्व माता–पिता व बच्चो माया देवी वगैरा का कोई सहारा नही था। ये सभी आपस में मिलकर एक– दूसरे की देखभाल करने लगे। भंवरलाल सुशील–दुलीचंद ही अपने बुढे दादा दादी की सेवा करते रहे है। अप्रार्थी सं. 1 काफी वर्षो से अपने पोते भंवरलाल–सुशील व दुलीचंद के पास रहता है। प्रार्थी कभी भी अपने पिता मनीराम से मिलने व देखभाल करने नही आता है। मुझ मनीराम को सोचने समझने की पूरी शक्ति है और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है। मनीराम अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि का अभिलिखित खातेदार है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार न ही है। प्रार्थी स्थगन आदेश की आड़ में प्रश्नगत भूमि पर जबरन काबिज होना चाहता है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज के है।

बहस उभय पक्ष पर भलीभांति मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। **यह न्यायालय स्थगनादेश अनवरत किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है जबकि अप्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेशा अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।** दिनांक 02.07.2019 जो जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेश आज दिनांक 26/09/2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जावी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.01 12:45:38 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा